

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

2020/00234

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री किशोर कुमार कच्छवाह पुत्र श्री लाधाजी  
कच्छवाह  
आवासी अग्रसेन नगर डीसा  
जिला बनासकांठा गुजरात ।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत

फरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 36 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
0.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत को दिनांक 15.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ओरिया में श्रील एडवेंचर पार्क को गौचर भूमि किस नियम के तहत उपलब्ध कराई थी आबूपर्वत पर कुल कितने आवासीय भवन एवं अवैध होटल निर्मित है उन्हें तोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया जारी है एवं निर्माण हेतु कौन-कौनसी सामग्री लाई जा सकती है से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत को दिनांक 15.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ओरिया में श्रील एडवेंचर पार्क को गौचर भूमि किस नियम के तहत उपलब्ध कराई थी आबूपर्वत पर कुल कितने आवासीय भवन एवं अवैध होटल निर्मित है उन्हें तोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया जारी है एवं निर्माण हेतु कौन-कौनसी सामग्री लाई जा सकती है से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे । नगरपालिका आबूपर्वत के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है । अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है । अपीलांत चाहे तो नगरपालिका के सक्षम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही



278-79  
13/8/20